भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 909 का उत्तर

मावेलीक्कारा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों का विकास

909. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मावेलीक्कारा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे हो चुके, चल रहे, निविदाधीन, स्वीकृत और प्रस्तावित कार्यों का स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत और वित्तपोषण का स्रोत क्या है तथा उनके कार्यान्वयन का चरण क्या है;

(घ) चल रहे और स्वीकृत कार्यों को पूरा करने की स्टेशन-वार समय-सीमा क्या है; और

(ङ) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में लंबित कार्यों में तेजी लाने और स्टेशन विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। अब तक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 35 स्टेशन केरल में स्थित हैं, जिनमें मावेलिक्करा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मावेलिक्करा, चंगनाशेरी और चेंगन्नूर स्टेशन शामिल हैं। केरल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
केरल	35	अलाप्पुझा, अंगडीप्पुरम, अंगमालि कालडि, चालक्कुडि, चंगनाशेरी, चेंगन्नूर, चिरयिनकीष़, एर्णाकुलम, एर्णाकुलम टाउन, एट्टुमानूर, फेरोक, गुरुवायूर, कण्णूर, कासरगोड, कायमकुलम जं., कोल्लम जं., कोझिकोड, कुट्टीपुरम, मवेलीकारा, नेय्यातिनकारा, नीलांबुर रोड, ओट्टप्पलम, परप्पनंगडी, पय्यानूर, पुनालुर, षोरणूर जं., थलास्सेरी, तिरुवनंतपुरम सैंट्रल, तृश्शूर, तिरूर, तिरुवल्ला, थिरुपनिथुरा, वडकरा, वर्कला शिवगिरी, वडकांचेरी

केरल राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। अब तक इस योजना के तहत केरल राज्य के 7 स्टेशनों (चालक्कुडि, चान्गनाशेरी, चिरयिनकीष़, कुट्टीपुरम, षोरणूर जंक्शन, वडकरा, वडकांचेरी) का कार्य पूरा हो चुका है।

अन्य स्टेशनों पर भी कार्य अच्छी गति से किए गए हैं और उपरोक्त स्टेशनों में से कुछ की प्रगति नीचे दी गई है:

मावेलिक्करा स्टेशन पर, प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर के प्रावधान, परिचलन क्षेत्र में सुधार, पार्किंग क्षेत्र, स्टेशन पहुंच मार्ग में सुधार, कॉनकोर्स और प्लेटफ़ॉर्म संख्या 1 में सुधार के लिए कार्य पूरा हो गया है। नए बरामदे, प्रवेश द्वार मेहराब, स्टेशन भवन में सुधार और दिव्यांगजन सुविधाओं के प्रावधान का कार्य शुरू किया गया है।

चेंगन्नूर स्टेशन पर, दक्षिण रेलवे द्वारा 98.46 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत पर पुनर्विकास कार्य की प्रक्रिया शुरू की गई है। चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में नए टर्मिनल भवन, तीर्थयात्री शेल्टर, ऊपरी पैदल पुल, 12 मीटर चौड़ा रूफ प्लाजा, प्लेटफॉर्म शेल्टर सहित प्लेटफॉर्म उन्नयन, परिचलन क्षेत्र में सुधार और पार्किंग स्थल आदि का निर्माण शामिल है। चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

हाल के वर्षों में, परिचलन क्षेत्र में पे एंड यूज़ शौचालयों में सुधार, वातानुकूलित प्रतीक्षालय के साथ-साथ विश्राम कक्ष में सुधार और क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म शेल्टर छत को बदलने का कार्य चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन पर किया गया है।

चन्गनाशेरी स्टेशन पर, स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म सतह, प्रवेश द्वार मेहराब, परिचलन क्षेत्र में सुधार, पार्किंग क्षेत्र, दिव्यांगजन सुविधाओं के प्रावधान का कार्य पूरा हो चुका है।

अमृत भारत स्टेशन योजना में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन करना शामिल है। प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस मास्टर प्लान में शामिल है:-

- स्टेशन तक पहुँच और परिचलन क्षेत्रों में सुधार
- शहर के दोनों ओर स्टेशन का एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठक व्यवस्था और वाटर-बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉन्कोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कवर में सुधार/प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के जरिए स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमोडल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- एग्जीक्यूटीव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान।

इस योजना में दीर्घकालिक आधार पर आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ की व्यवस्था आदि और स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के आवंटन और उपयोग का ब्यौरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या स्टेशन-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है। यात्री सुविधाओं को आम तौर पर योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के तहत वित्तपोषित किया जाता है। केरल राज्य दक्षिण रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है और इस जोन के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1125 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का आवंटन किया गया है।

भारतीय रेल में स्टेशनों के विकास/उन्नयन का कार्य सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार किया जाता है। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन के समय निचली श्रेणी के स्टेशनों की तुलना में उच्च श्रेणी के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथों और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

भारतीय रेल में परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक सुव्यवस्थित स्थापित तंत्र है, जिसमें उनकी समीक्षा, निरीक्षण, कार्यों की गुणवत्ता की जाँच तथा लेखापरीक्षण शामिल हैं। कार्य विभिन्न संहिताओं एवं नियमावलियों में निर्धारित मानकों एवं विनिर्देशों के अनुरूप संपादित किए जाते हैं। विभिन्न एजेंसियों/अधिकारियों/बहु-विषयक दलों द्वारा समय-समय पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार निरीक्षण/लेखापरीक्षण/जाँच की जाती है तथा क्षति सहित सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जाती है। यह सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

******